





# हमारा संकल्प जन-जन का विकास



## अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार...



निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड

10, अजबपुर कला, मोथरोंवाला रोड़, निकट पी.एन.बी. बैंक, देहरादून, उत्तराखण्ड

ई-मेल: [ukdirectorminority@gmail.com](mailto:ukdirectorminority@gmail.com)

टेलीफैक्स: 0135-2671122



## उद्देश्य:

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

## अल्पसंख्यकों हेतु मुख्य कल्याणकारी कार्यक्रम

- पूर्वदशम छात्रवृत्ति।
- अल्पसंख्यकों के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति।
- मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति।
- मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना।
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
- अल्पसंख्यक समुदाय हेतु एम.एस.डी.पी योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
- अल्पसंख्यक विकास निधि से अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
- गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहें परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान।

- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना।
- जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना।
- अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं हेतु प्रोजेक्ट रहबर के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना।

## 1. छात्रवृत्ति योजनाएं :-

**कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (100% SS):-**

अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा-1 से 10 तक के अध्ययनरत् ऐसे छात्र/छात्राओं, जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक नहीं हो, को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

वर्ग	छात्रवृत्ति के मानक		अवधि (अधिकतम)
अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति	कक्षा	दर प्रतिमाह	माता-पिता की आय सीमा
	1-5	₹0 50/-	गरीबी की रेखा
	6-8	₹0 80/-	के दुगुनी आय
	9-10	₹0 120/-	तक वार्षिक आय
			12 माह
			12 माह
			12 माह

## कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (100% CSS):--

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सहायतित इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पूर्वदशम के छात्रों को इस योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा साथ ही साथ एडमिशन फीस तथा अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाता है। इस योजना में ₹500/- प्रतिमाह तक अधिकतम 10 माह तक छात्रवृत्ति तथा ₹350/- तक ट्यूशन फीस तथा ₹600/- तक अनुरक्षण भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है।

## अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% CSS):--

अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएँ, जिनके अभिभावकों की कुल वार्षिक आय ₹02.00 लाख से अधिक न हो तथा किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से कक्षा 11 से पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों को रु. 7000/- प्रतिवर्ष, तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹10000/- प्रतिवर्ष, स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को रु. 3000/- प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। एम.फिल तथा पी.एच.डी के छात्रों को रु. 510/- प्रतिमाह तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त अलग से अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाता है।

## अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मैरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% CSS):--

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएँ, जिनके अभिभावकों की कुल आय रुपये 2.50 लाख (वार्षिक) से अधिक न हों तथा जो किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्राविधिक एवं व्यवसायिक कोर्स में अध्ययनरत हैं को छात्रवृत्ति के रूप में हॉस्टलर को रु. 10000/- तक प्रतिवर्ष तथा डेस्कॉलर को ₹5000/- एवं कोर्स फीस के रूप में अधिकतम ₹20000/- तक दिये जाने का प्राविधान है। अधिक जानकारी हेतु [www.momascholarship.gov.in](http://www.momascholarship.gov.in) पर लॉगऑन किया जा सकता है।

## 2. मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना (SPQEM 100% CSS)

ऐसे मान्यता प्राप्त मदरसों, जिनमें दीनी तालिम दी जा रही है, उनमें आधुनिक विषय यथा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि पढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा मानदेय प्रदान किये जाने का प्राविधान है। इन आधुनिक विषयों को पढ़ाने वाले परास्नातक स्तर तक के अध्यापक को ₹6000/- परास्नातक बी0एड0 अध्यापक को ₹12,000/- मासिक की दर से मानदेय प्रदान किया जाता है। इस योजना में पुस्तकालय संचालन तथा विज्ञान किट हेतु भी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

## 3. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना (IDMI 100% CSS)

ऐसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ जिनमें शिक्षा प्रदान की जा रही है, में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता

प्रदान की जाती है जिसमें 75% की धनराशि का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 25% धनराशि शैक्षिक संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

## 4. अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद हरिद्वार तथा उधमसिंह नगर में मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट योजना (MSDP, CSS Scheme)

भारत सरकार द्वारा सहायतित इस योजना में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आगंनवाडी केन्द्र, क्षमता विकास केन्द्र आदि एवं अवस्थापना विकास सुविधाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराया जाता है।

## 5. अल्पसंख्यक विकास निधि

अल्पसंख्यक विकास निधि का मुख्य उद्देश्य अवस्थापना विकास एवं अन्य गतिविधियाँ (समुदायपरक) संचालित किया जाना है, जिससे जो योजनाएँ एम.एस.डी.पी योजना की गार्डर्ड लाईन से आच्छादित नहीं हो रही हैं लेकिन अल्पसंख्यकों के हित में अति आवश्यक है, को इस योजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

## 6. प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान।

उक्त योजना अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। ऐसी बालिका जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा/मुन्शी, मौलवी तथा आलिम 60 प्रतिशत से अधिक अंक से उत्तीर्ण की है उनको अनुदान उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

## 7. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य।

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य की योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत कब्रिस्तानों की चाहर-दिवारी तथा वहां पर पानी एवं बिजली की समुचित व्यवस्था आदि कार्य कराया जाता है।

## अल्पसंख्यक कल्याण से सम्बन्धित अन्य कार्यालय

### ● उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग:--

उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन में सहायता के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी है।

### आयोग के कार्य

1. अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
2. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।

3. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।
4. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

● **उत्तराखण्ड हज समिति:-**

उत्तराखण्ड राज्य हज समिति का मुख्य उद्देश्य राज्य से हज यात्रा में जाने वाले लोगों को उनकी यात्रा के दौरान आवश्यक जानकारियों का प्रशिक्षण, टीकाकरण की सुविधा प्रदान करते हुए उनकी यात्रा व्यवस्था करने से सम्बन्धित समस्त कार्य किया जाता है।

● **उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड:-**

राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख-रेख एवं रख-रखाव हेतु वक्फ बोर्ड की स्थापना की गयी है। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों का रख-रखाव, वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

● **उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड:-**

मदरसा बोर्ड द्वारा अरबी-फारसी की शिक्षा प्रदान कर रहे मदरसों की परीक्षाये सुचारु रूप से सम्पादित करवाना मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसों का पंजीकरण कर उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना तथा उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना है।

● **पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम में क्रियान्वयन:-**

अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एवं बेहतर 15-सूत्री कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जाना पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का प्रमुख उद्देश्य है।

**अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून द्वारा संचालित योजनाएं**

**1. जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना।**

इस योजनान्तर्गत बैंक ऋण के सापेक्ष 30% मार्जिन मनी एवं 10% अधिकतम ₹10000/- तक अनुदान दिया जाता है।

**2. अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं हेतु प्रोजेक्ट रहबर के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना।**

अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है, विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी पर ₹10,000/- अधिकतम व्यय किया जाता है।

**3. स्वरोजगार योजना "अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु"**

अल्पसंख्यक वर्ग के अशिक्षित/शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को योजना लागत का 60 प्रतिशत टर्मलोन 6 प्रतिशत व्याज दर पर तथा 25 प्रतिशत अनुदान एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश है।

**4. मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना'**

अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 35 वर्ष के 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा ग्रहण करने हेतु अधिकतम ₹5.00 लाख तक का व्याजमुक्त ऋण दिये जाने की व्यवस्था है।

**5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से संचालित योजनाएं**

(अ) **टर्मलोन ऋण योजना** : अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को इस योजनान्तर्गत ₹ 10.00लाख तक की परियोजना हेतु 95% तक ऋण दिये जाने की व्यवस्था है।

(ब) **व्यवसायिक शिक्षा ऋण** : अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को 3% वार्षिक व्याज पर प्रति वर्ष ₹ 50,000/- या कोर्स फीस के अनुसार 5 वर्ष हेतु अधिकतम ₹10.00लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

**6. अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना।**

अल्पसंख्यकों को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 81,000/- तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 1,03,000/- से अधिक न हो, को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है, विभिन्न ट्रेडों जैसे कम्प्यूटर काल सेन्टर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, टेलरिंग, सॉफ्ट ट्वाइज, मोटर वाइन्डिंग, ब्यूटीशियन फोटो कॉपियर आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

कार्यालय	पता	दूरभाष नम्बर
1. निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून	10-बी अजबपुर कला, मौथरोवाला रोड (नियर पी.एन.बी. बैंक) देहरादून।	0135-2671157
2. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।	10-बी अजबपुर कला, मौथरोवाला रोड (नियर पी.एन.बी. बैंक) देहरादून।	0135-2671157
3. राज्य अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।	14/1 लक्ष्मी रोड़ - देहरादून।	0135-2671201
4. उत्तराखण्ड राज्य हज समिति।	ग्राम-पीरान कलियर, रूड़की।	9219449555
5. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।	161 ओल्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून। E-mail alpsankhyak1@gmail.com	0135-2669723
6. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।	शिमला बाई पास, देहरादून।	0135-2641046



3 سنو روزگار منصوبہ۔ اقلیتی طبقے کے روزگاروں کے لئے۔ اقلیتی طبقے کے ناخواندہ اور تعلیم یافتہ بیروزگار مرد اور عورتوں کو اسکیم کی لاگت کا 60% نرم لون قرض 6% یوجنا۔ بیان در پر اور 25% گرانٹ اور 15% ذاتی رقم۔

4 مولانا آزاد ایجوکیشن فنانسینس فائونڈیشن منصوبہ۔ اقلیتی طبقے کے 18 سے 35 سال عمر کے بارہویں پاس طلبہ/طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے لئے غیر ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ Rs.5.00 لاکھ تک بغیر سود کے قرض دینے کی سہولت ہے۔

5 راشٹریہ۔ اقلیتی طبقہ و کاس ایوم و تیبہ ننگم کے مادھیم سے سنجالت منصوبہ

(الف) ٹرم لون قرض منصوبہ۔ اپ سٹھیک لاکھ اور لاکھوں کو اس اسکیم کے تحت Rs.10.00 لاکھ تک کی پری یوجنا کے لئے 95% تک قرض دیئے جانے کی سہولت ہے۔

(ب) ویوسائنیک شکشا قرض۔ اقلیتی لڑکے لڑکیوں کو 3% سالانہ سود پر۔/Rs.50000 یا کورس فیس کے مطابق 5 سال کے لئے زیادہ سے زیادہ Rs.10.00 لاکھ تک کا قرض فراہم کرایا جاتا ہے۔

6۔ اقلیتی طبقہ/جنگل کے تعلیم یافتہ بیروزگاروں کے کنوشل ورڈھی کے لئے

ٹریڈنگ منصوبہ۔ اقلیتی طبقہ/جنگل سالانہ پروڈاک آمدنی گاڈ کے علاقہ میں۔/Rs.81000 اور شہری علاقے میں۔/Rs.1,03,000 سے زیادہ نہ ہونے والوں کو فائدہ پہنچانے کا انتظام ہے۔ ایسے اقلیتی طبقے کے تعلیم یافتہ بیروزگار لڑکے لڑکیوں کو جنگل عمر 18 سے 35 سال ہے الگ الگ فریڈ ویجیسی بیوز کال سینٹر کیپوز ہارڈ ویئر، ٹیلرنگ، سوفٹ ویئر، موٹر وائلنگ،

پیشہ بنو کو پھر وغیر وغیرہ کی مفت ٹریڈنگ دی جاتی ہے

### اتراکھنڈ حج کمیٹی

اتراکھنڈ راجیہ حج کمیٹی کا خاص مقصد صوبہ سے حج کے سفر میں جانے والے لوگوں کو ان کے سفر کے دوران ضروری معلومات کی فریٹک۔ حج گواہ کی سہولت اور ان کے سفر کا انتظام کرنے سے متعلق بھی کام کئے جاتے ہیں۔

### اتراکھنڈ وقف بورڈ

صوبہ میں وقف کی جائداد کی دیکھ بھال اور دیکھ رکھ کے مقصد کے لئے وقف بورڈ کو قائم کیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے ذریعہ وقف کی جائداد کے رکھ رکھاؤ چارج پڑھال کا کام آیا جاتا ہے۔

### اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ

مدرسہ بورڈ کے ذریعہ عربی، فارسی کی تعلیم فراہم کرانے کے اداروں کے امتحانوں کو صحیح طریقہ سے کرانا خاص مقصد ہے۔ اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کے ذریعہ مدارس کا رجسٹریشن کر دیا تعلیم سے جوڑنا اور انہیں سرکار سے اقتصادی امداد مہیا کرانا ہے۔

15 سو ترقی پوروگرام کا نفاذ۔ اقلیتوں کے لئے ترمیم شدہ اور بہتر 15 سو ترقی پوروگرام کے طے شدہ لکشیہ کو طے شدہ وقت میں حاصل کرنا۔ 15 سو ترقی پوروگرام کا نفاذ کمیٹی کا خاص مقصد ہے۔

### منصوبہ

- 1 جیو کا انوسٹریو نسا بن منصوبہ اس اسکیم کے تحت جنک سے 30% مارجن میں اور 10% میں زیادہ سے زیادہ Rs.10000 گرانٹ دی جاتی ہے
- 2۔ اقلیتی طبقہ/جنگل کے ذریعہ "پروجیکٹ ریسر" کے تحت ایسٹیک پلنگن یوجنا۔ اپ سٹھیک طبقہ/جنگل کو لکھی 18 سے 35 ہے۔ الگ الگ فریڈ میں مفت ٹریڈنگ دی جاتی ہے۔ ہر ایک مہر پر۔/Rs.10000 سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔



سُحُنَا عَظْمُ لُؤكُ سَمَیْكَ وَیْمَاغ، اُتُتَارَاخَنڈ دُتَارَا پُرَكَاشِیت

उत्तराखण्ड साहित्य

اقلیتی طبقے کے سماجی اور اقتصادی مسائل کے متعلق انکی مخصوص پریکٹیشن کو حل کرنے، انکی تعلیمی معیار اور امدادی مقصد کے لئے، یہ محکمہ کام کو انجام دے رہا ہے۔ جس سے سماجک اور اقتصادی ترقی ہو سکے اور انھیں ملک اور سماج کی مکمل مددگار میں لایا جاسکے۔ اسی کے تحت مندرجہ ذیل فلاحی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔

پروگرام

- (1) دسویں کلاس سے پہلے کا وظیفہ۔
- (2) دسویں کلاس کے بعد کا وظیفہ۔
- (3) میرٹ کم منس کے تحت وظیفہ۔
- (4) مدرسوں کو جدید کرنے کی योजना۔
- (5) اقلیتی اداروں کا قائم کرنا اور سہولتیں پہنچانا۔
- (6) اقلیتی طبقے کے لئے (MSDP) اسکیم کے ذریعہ ترقی کرنا۔
- (7) اقلیتی سرمایہ کاری کے تحت بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنا۔
- (8) اقلیتی طلبی کے زیرِ دیکھتہ تعلیم یافتہ صاحبان کو بہتر مندی کے نریجنگ دینا۔
- (9) کاروباری اسکیم کے ذریعہ حصول افزائی کرنا۔
- (10) اقلیتی طلبی کی خواہش کے لئے "پرووجیکٹ ریسر" کے مطابق کاروباری نریجنگ منصوبہ۔

نوٹ - وظیفوں کا منصوبہ

کلاس ایک سے کلاس دس تک پڑھنے والے بچوں کے لئے وظیفہ (100% SS)

اقلیتی طبقے کے ایک کلاس سے دسویں کلاس تک پڑھنے والے بچے جنکے والدین کی آمدنی غریبی رکھنے کے لئے شرحہ آمدنی کی شرح سے زیادہ دینی نہ ہو، انکو وظیفہ دینے کا انتظام کیا گیا ہے۔

نمبر	ذاتی وظیفہ	نمبر	ذاتی وظیفہ
1	5 سے 10 کلاس تک	4	120/-
2	6 سے 8 کلاس تک	5	80/-
3	9 سے 10 کلاس تک	6	50/-

ایک کلاس سے دسویں کلاس تک کے پڑھنے والے بچوں کے لئے وظیفہ (100% CSS) اس اسکیم کے تحت بھارت سرکار کے ذریعہ اقلیتوں کی بھلائی، ترقی اور امداد کے لئے وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس پلاننگ کے ذریعہ دسویں کلاس سے پہلے پڑھنے والے بچوں کو وظیفہ کے ساتھ ساتھ داخلہ فیس، رکھ رکھاؤ اور الاؤنس بھی دیا جاتا ہے۔ اسکیم - 500/- روپیہ ہر ماہ زیادہ سے زیادہ 10 ماہ تک اور - 350 روپیہ تک ٹیوشن فیس اور - 600 روپیہ رکھ رکھاؤ والاؤنس دینے کے لئے انتظام ہے۔

اقلیت کے پڑھنے والے بچوں کے لئے دسویں کلاس کے بعد کا وظیفہ (100% CSS)

اقلیتی طبقے کے ایسے پڑھنے والے بچے جنکے والدین کی کل سالانہ آمدنی 2 لاکھ روپیہ سے زیادہ نہ ہو اور کسی سرکاری/منظور شدہ کالج/ادارہ سے گیارہ کلاس سے بی۔ ایچ۔ ڈی تک کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں انکے وظیفہ کا انتظام ہے۔ کلاس گیارہ سے بارہ تک بچوں کو - 7000/- روپیہ سالانہ۔ تکنیکی اور کاروباری تعلیم حاصل والوں کو - 10000/- سالانہ۔ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے پڑھنے والے بچوں کیلئے - 3000/- سالانہ کا انتظام ہے۔ ایم۔ فل۔ اور پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کے بچوں کے پڑھنے والوں کیلئے - 510/- روپیہ ماہوار دیا جاتا ہے اسکے علاوہ الگ سے ایک لاکھ روپیہ رکھ رکھاؤ والاؤنس بھی دیا جاتا ہے۔

﴿(1) اقلیت طلباؤں کے لئے میرٹ کم۔ منس کے بنیاد پر وظیفہ (100% CSS)﴾

بھارت سرکار کے ذریعہ سے اقلیتی طبقے کے ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین کی کل تنخواہ Rs.2.50 اور لاکھ سالانہ سے زیادہ نہ ہو کسی سرکاری/منظور شدہ ادارہ سے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ درجہ کے پراوہدک اور کاروباری کورس میں زیرِ تعلیم کو وظیفہ میں ہونے پر - 10.000/- کئی سالانہ اور ڈی سکولر کو - 5.000/- اور کورس فیس کی شکل میں زیادہ سے زیادہ - 20000/- دینے کے لئے انتظام رکھا ہوا ہے۔ مزید معلومات کے لئے [www.momascholarship.gov.in](http://www.momascholarship.gov.in) پر لوگ آن کیا جاسکتا ہے۔

﴿(2) مدرسوں کو جدید بنانے کا منصوبہ۔ (SPQEM100% CSS)﴾

ایسے منظور شدہ مدارس جن میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے ان میں جدید علوم جیسے سائنس، حساب وغیرہ پڑھانے کے لئے بھارت سرکار کے ذریعہ سے تنخواہ دینے کا بندوبست ہے۔ ان جدید مضمین کے مدرس کو - 6000/- اور پوسٹ گریجویٹ اور بی ایڈ مدرس کو - 12000/- کی ر سے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس اسکیم میں نظام لائبریری اور سائنس کئی امداد مہیا کرانی جاتی ہے۔

﴿(3) اقلیتی تعلیمات ادارے میں بنیادی ضروریات کی سہولیات کی ترقی کا منصوبہ (IDMI75% CSS)﴾

ایسے منظور شدہ تعلیمی ادارے جن میں تعلیم فراہم کی جا رہی ہے انکی تعمیرات کے لئے مالی امداد کی جاتی ہے جس میں 75% اخراجات کی رقم گرانٹ مرکزی سرکار کی امداد کا حصہ ہوتی ہے 25% رقم تعلیمی اداروں کے بندوبست کا حصہ ہوتا ہے۔

﴿(4) اقلیت کے اکثریتی علاقہ ضلع برید اور ضلع اجم سنگھنگر میں ملٹی سیکلر ڈیولپمنٹ منصوبہ

(MSDP, SCC Scheme)

بھارت سرکار کے ذریعہ امدادی منصوبہ اقلیتی طبقے کے اکثریتی علاقوں میں خاص طور سے تعلیم، صحت، پینے کا پانی، سڑک، آگن ہاؤس، سینٹر وغیرہ کی سہولتوں اور بنیادی ضروریات کی ترقی کیلئے سکولوں کے متعلق تعمیری کام انجام دیا جاتا ہے۔

﴿(5) اقلیتی ترقی کی سرمایہ کاری﴾

اقلیتی ترقی کی سرمایہ کاری کا خاص مقصد بنیادی ترقی اور دیگر نظام کا قائم کیا جاتا ہے۔ جس سے جو منصوبہ ایم۔ ایس۔ ڈی۔ بی۔ ایس۔ کی گاڈ ڈائون مکمل نہیں ہو رہی ہے لیکن اقلیتوں کی ضرورت کے لحاظ سے سکیم میں شامل کیا جا رہا ہے۔

﴿(6) صوبہ میں غریبی رکھنے کے نتیجے میں رہنے والے اقلیتی طبقے کے خاندانوں کی ہونہار مطالبات کی تعلیم کے لئے خاص معاوضہ﴾

مندرجہ بالا اسکیم اقلیتی طبقے کے خاندانوں کی ہونہار مطالبات کی تعلیم کے لئے خاص چھوٹ دینے کے مقصد سے شروع کی گئی ہے۔ ایسی لڑکیاں جنہوں نے اتر اچھڑ مہاسیک گھٹا روڈ/اتر اچھڑ مدرسہ بورڈ کی ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان/مثنیٰ مولوی ہامام 60% سے زیادہ نمبر سے پاس کی ہے مندرجہ ذیل - 15000/- اور - 25000/- امداد کی شکل میں فراہم کرنا پر متواتر ہے۔

﴿اقلیت کلیان سے متعلق دیگر دفاتر﴾

اتر اچھڑ اقلیتی ایوگ۔ اتر اچھڑ صوبہ نے اقلیتی طبقے کے ہندو، سماجی، تعلیمی، فلاحی اور اقتصادی ترقی میں مدد کے لئے اور انکی پریکٹیشن کے عمل کے لئے اقلیت ایوگ کو قائم کیا ہے۔

﴿ایوگ کے کام﴾

- (1) اقلیت کے ترقی کی معلومات کرنا۔
- (2) ایم این اے اور ایس اے سے ہاؤسنگ ایکٹ طریقوں میں فراہم کی گئی اقلیت سماج سے متعلق حقائق ترقی کے کام کی سرنگار کرنا۔
- (3) اقلیت کے خلاف کیجے سے پیدا ہونے والی پریکٹیشن پر غور و خوض کرنا اور اسکے عمل کے لئے سفارش کرنا۔
- (4) کسی بھی اقلیتی طبقے سے متعلق سرکار کے ذریعہ مسکام کے طریقے کے لئے ضرور دینا۔